उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, बहादराबाद

निष्पत्ति आधारित वार्षिक स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन

शैक्षणिक सत्र ..... से .....

खण्ड (क)
सामान्य सूचनायें

1. नाम : .....
2. पिता/माता का नाम : .....
3. संकाय एवं विभाग : .....
4. वर्तमान पद एवं शैक्षणिक ग्रेड पे .....

   (अ) प्रथम नियुक्ति तिथि एवं पद.....
5. विगत पदोन्नति की तिथि .....
6. वर्तमान पता (दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल सहित).....

   .....

   .....
7. स्थायी पता .....

   .....

   .....
8. इस वर्ष प्राप्त की गई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता .....

   .....
9. इस वर्ष किया गया अभिविन्यास/पुनश्चर्या कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम	स्थान	अवधि (दिनांक सहित)	आयोजक/अभिकरण (एजेंसी) का नाम

खण्ड (ख) **API Form**

श्रेणी (**I**): शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप

श्रेणी	क्रियाकलाप की प्रकृति	सहायक आचार्य		सह–आचार्य		आचार्य		अधिकतम अंक	
		अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	अधिकतम अंक	अधिकतम अंक	अधिकतम अंक	वास्तविक अंक	प्राप्तांक (आवेदक द्वारा निर्धारित)	पृष्ठ संख्या
1.	क. प्रत्यक्ष शिक्षक	70	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷7.5	60	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷7.75	60	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷7.75		
	ख. परीक्षा ड्यूटी (प्रश्न पत्र तैयार करना, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन) आबंटन अनुसार	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10		
	ग. नवोन्मेषी शिक्षण–ज्ञानार्जन प्रणालियां, विषय वस्तु/पाठ्यक्रमों आदि को अद्यतन करना, परामर्श इत्यादि	10	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10	20	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10		
–							कुल योग :–		

*****नोटः

1. प्रति सप्ताह 16/14/14 घंटे में व्याख्यान/अनुशिक्षण/प्रैक्टिकल्स/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण/क्षेत्रीय कार्य शामिल हैं।

2. विश्वविद्यालय न्यूनतम 75% कट–ऑफ निर्धारित कर सकता है, जिसके नीचे इन उप–श्रेणियों में कोई भी प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं।

3. स्थापित अकादमिक एवं शिक्षण परम्पराओं के अनुरूप तथा छात्र केन्द्रित, देख–रेख को प्रतिपुष्ट करने के उद्देश्य से अध्यापकों को, कक्षागत अध्यापन की संरचना के अतिरिक्त, छात्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में छात्रों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श को सम्मिलित किया जा सकता है। पृथक रूप से अशक्त छात्रों की आवश्यकताओं को चिह्नित करने के लिए अथवा उनकी आवश्यकताओं एवं उनके अकादमिक निष्पादन के लिए अथवा उनकी असमर्थता दूर करने के लिए अध्यापकसर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऐसे प्रयासों के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है और न ही उसे एपीआई प्राप्तांकों के परिप्रेक्ष्य में अथवा परिकलन में सप्ताहों अथवा महीनों के रूप में आंकलित किया जा सकता है। तथापि अध्यापकों द्वारा ऐसे कार्यों द्वारा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा किया जाना चाहिए।

श्रेणी **II**: व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलापों और सम्बन्धित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु शिक्षकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम एपीआई को तालिका II– ए में निर्धारित किया गया है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह–आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो तो इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

अभ्यर्थी हस्ताक्षर .....

श्रेणी दो		क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम एपीआई अंक	वास्तविक अंक	प्राप्तांक (आवेदक द्वारा निर्धारित)	पृष्ठ संख्या
क.	(i) (ii) (iii)	छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप। विषय संबंधी सह–पाठ्येत्तर गतिविधियां (उदाहरणार्थ उपचारात्मक कक्षायें, करियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, आदि) अन्य सह–पाठ्येत्तर गतिविधियां (सांस्कृतिक, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. आदि) विस्तारण और प्रसारण क्रियाकलाप (सार्वजनिक/प्रसिद्ध व्याख्यान/चर्चा/संगोष्ठियां आदि)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10		
	(i)	कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से विभाग और संस्था का प्रबंधन प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें डीन/प्राचार्य/सभापति/संयोजक/प्रभारी)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10		
ख.	(ii)	शिक्षक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है वे शामिल हैं) अध्ययन, बोर्ड, अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों में भागीदारी		प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे÷10		
ग.		व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, औद्योगिक अनुभव, चर्चा में भाग लेना, पुनश्चर्या/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, प्रसार और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान)	15	प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे÷10		
–				कुल योग :–		

श्रेणी **III**: शोध और शैक्षिक योगदान

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और शैक्षिक योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह–आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप	विज्ञान/इंजीनियरिंग/कृषि/चिकित्सा/पशु विज्ञान	भाषा/मानविकी/कला/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा/प्रबंधन के संकाय	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक*	प्राप्तांक (आवेदक द्वारा निर्धारित)	पृष्ठ संख्या
III (क)	जिनमें शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित (Refereed) पत्रिकाएं#	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं#	25 प्रति प्रकाशन		
		वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं#	वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं#	10 प्रति प्रकाशन		
III (ख)		अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 30		

	पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय)	राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय से अनुमोदित राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन एवं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित विषयगत पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय से अनुमोदित राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन एवं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित विषयगत पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 20		
		विश्वविद्यालय अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर अन्य स्थानीय रचनाकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो आईएसबीएन/ आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	विश्वविद्यालय अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर अन्य स्थानीय रचनाकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा।	एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 15		
		विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं अपनी वेबसाइट पर दर्शायी गयी आईएसबीएन/ आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित पुस्तकों के अध्याय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।	दर्शायी गयी आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित पुस्तकों के अध्याय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं।	अंतर्राष्ट्रीय–प्रति अध्याय 10 राष्ट्रीय–प्रति अध्याय 5		
III (ग)	शोध परियोजनाएं					
III (ग) (i)	प्रायोजित परियोजनाएं	(क) रूपए 30.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	रू0 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	20 प्रति परियोजना		
		(ख) रूपए 5.0 लाख से रूपए 30.0 लाख तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	रू0 3.0 लाख से रू0 5.0 लाख तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं	15 प्रति परियोजना		
		(ग) रूपए 1.0 लाख से रूपए 5.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं	रू0 1.0 लाख रूपए से रू0 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं	10 प्रति परियोजना		
III (ग) (ii)	परामर्शी परियोजनाएं	न्यूनतम रूपए 10.0 लाख की राशि के साथ अन्य राशि को जुटाया गया	न्यूनतम रू0 2.0 लाख की राशि के साथ अन्य राशि को जुटाया गया	प्रति रू0 10.0 लाख और रू0 2.0 लाख हेतु क्रमशः 10		
III (ग) (iii)	परियोजना निष्कर्ष/निर्गत	पेटेंट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया	प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निकाय जैसे डब्ल्यू एचओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ (WHO/UNO/UNESCO/UNICEF) इत्यादि एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों के लिए तैयार प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेज	प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेण्ट के लिए 30 तथा राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेंट के लिए 20 प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेजः अन्तर्राष्ट्रीय निकाओं – 30 केन्द्रीय सरकार – 20 राज्य सरकार – 10 स्थानीय निकाय – 5		
III (घ)	शोध मार्गदर्शन					
III (घ) (i)	एम.फिल्.	उपाधि प्रदान की गई	उपाधि प्रदान की गई	5 प्रति उम्मीदवार		
III (घ) (ii)	पीएच.डी.	उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया	15/10 प्रति उम्मीदवार		
III (ङ)	अध्येतावृत्तियॉं, पुरस्कार और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिए गए आमंत्रण व्याख्यान					
III (ङ) (i)	अधेतावृत्तियॉं/ पुरस्कार	अकादमिक निकायों से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृत्ति		
		अकादमिक निकायों से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति	10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृत्ति		
		अकादमिक निकायों से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार	अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार	5 प्रति पुरस्कार		

III (ङ) (ii)	आमंत्रण व्याख्यान/पत्र	अंतर्राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय	7 प्रति व्याख्यान/5 प्रति प्रस्तुत पत्र		
		राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय स्तर	5 प्रति व्याख्यान/3 प्रति प्रस्तुत पत्र		
		राज्य/विश्वविद्यालय स्तर	राज्य/विश्वविद्यालय स्तर	3 प्रति व्याख्यान/2 प्रति प्रस्तुत पत्र		
	इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20% तक सीमित कर दिया जाएगा।					
III (ङ)	ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया/सामग्री का विकास			10 प्रतिमापांक		
–				कुल योग :–		

अभ्यर्थी हस्ताक्षर .....

*जहां कहीं भी किसी विशेष विषय से प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगा : जो (एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र–5 अंकों द्वारा (दो) 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभव कारक वाले पत्र–25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरूप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और 30% शेष अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

#विश्वविद्यालय पत्रिकाओं को विषयवार रूप से विशेषज्ञ समिति के द्वारा चिह्नित करायेगा, तथा अपनी अनुषंसायें यूजीसी स्थायी समिति की स्वीकृति हेतु, यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयोग को अग्रसारित करेगा। इस सूची में से जो पत्रिकायें यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत की गयी हैं, उन्हें यूजीसी द्वारा अधिसूचित ''पत्रिकाओं की सूची'' में सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सूची प्राप्त होने के 60 कार्य दिवस के भीतर यूजीसी की स्थायी समिति अपनी अनुषंसायें प्रस्तुत करेगी। यूजीसी की स्थायी समिति स्वयंमेव, ''पत्रिकाओं की सूची'' में सम्मिलित करने के लिए पत्रिकाओं की अनुषंसा करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा धारा 6.05 (**i**) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

परिशिष्ट–III तालिका–II (ख)

विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम प्राप्तांक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता अर्हताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किये जाने हेतु

	सहायक आचार्य (चरण 1)	सह–आचार्य (चरण 4)	आचार्य (चरण 5)
न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक	इन विनियमों में यथावर्णित न्यूनतम अर्हताएं	एपीआई की श्रेणी II और III से 300 अंकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की संघटित आवश्यकता (कुल मिलाकर)	एपीआई की श्रेणी II और III से 400 अंकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की संघटित आवश्यकता (कुल मिलाकर)
चयन समिति<u>मानदण्ड/अधिमान</u> (कुल अधिमान = 100)	(क) शैक्षिक रिकार्ड और शोध प्रदर्शन (50%) (ख) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई प्राप्तांक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)	(क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई प्राप्तांक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%)

अन्य सम्बन्धित सूचनायें (कोई पुरस्कार या विशेष योगदान का उल्लेख)
Other Relevant Information (Regarding Award or Signification Contributions)

क्र.सं.	विवरण (वर्ष, पुरस्कार राशि आदि)

अभ्यर्थी हस्ताक्षर .....

API अंक का सारांश :

श्रेणी संख्या	श्रेणी का नाम	गत वर्ष का अंक	मूल्यांकित वर्ष का कुल **API** अंक		मूल्यांकित वर्षों के कुल **API** अंक का औसत
			प्राप्तांक (आवेदक द्वारा निर्धारित)	संशोधित **API** अंक	
I	शिक्षण–अधिगम और मूल्यांकन से सम्बन्धित क्रियाकलाप				
II	पाठ्यसहगामी, प्रसार और व्यावसायिक विकास सम्बन्धित क्रियाकलाप				
III	शोध और शैक्षणिक योगदान				

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि, दी गई समस्त सूचनाएँ/विवरण सत्य एवं साक्ष्य पर आधारित हैं यदि प्रस्तुत सूचनाओं में कोई विसंगति पाई जाती है तो अधोस्ताक्षरी पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

स्थान :

नाम.....

पद.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि, सभी सूचनाएँ टिप्पणियों के साथ उपलब्ध साक्ष्यों से सत्यापित की गई हैं।

प्रतिहस्ताक्षरित
(साक्ष्यों से सत्यापित)
अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर के साथ

विभागाध्यक्ष की टिप्पणी

श्रेणी 'ग' के मूल्यांकन हेतु, निम्नलिखित मापदण्ड (ग्रेडिंग) के आधार पर जहाँ तक सम्भव हो निश्चित टिप्पणियों, तथ्यों और आंकड़ों के समर्थन में ए+ से डी तक मापदण्ड (ग्रेडिंग) प्रदान करें:–

'ए+' अत्यन्त अच्छा, 'ए' बहुत अच्छा, 'बी' अच्छा, 'सी' सन्तोषजनक, 'डी' असन्तोषजनक

1. अध्यापक का वरिश्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार ☐
2. चरित्र ☐
3. उत्साह ☐
4. ज्ञानकोश ☐
5. छात्रों, कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ व्यवहार ☐
6. अन्य गतिविधियों में सहभागिता ☐

कुल ग्रेडिंग .....

टिप्पणी विभागाध्यक्ष द्वारा .....

दिनांक

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मुहर के साथ

संकाय–प्रमुख की टिप्पणी

श्रेणी 'ग' के मूल्यांकन हेतु, निम्नलिखित मापदण्ड (ग्रेडिंग) के आधार पर जहाँ तक सम्भव हो निश्चित टिप्पणियों, तथ्यों और आंकड़ों के समर्थन में ए+ से डी तक मापदण्ड (ग्रेडिंग) प्रदान करें :–

'ए+' अत्यन्त अच्छा, 'ए' बहुत अच्छा, 'बी' अच्छा, 'सी' सन्तोषजनक, 'डी' असन्तोषजनक

1. अध्यापक का वरिश्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार ☐
2. चरित्र ☐
3. उत्साह ☐
4. ज्ञानकोश ☐
5. छात्रों, कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ व्यवहार ☐
6. अन्य गतिविधियों में सहभागिता ☐

कुल ग्रेडिंग .....

टिप्पणी संकायाध्यक्ष द्वारा .....

दिनांक

संकायाध्यक्ष के हस्ताक्षर मुहर के साथ

टिप्पणी कुलपति द्वारा .....

दिनांक

कुलपति के हस्ताक्षर मुहर के साथ